

V

कोडरमा सदर | तिलैया | 244 | श्रीमती शीला सिन्हा

खाना सख्या

33

खेसरा सख्या

170

रकबा (एकड़ में)

0 एकड़ 4 डिसिमील 0 हेक्टर

अराजी नकदी

अराजी भावली

तफसील हिसाब लगान भावली

जोत का सालाना मांग मय तफसील (बकाया वो हाल) मौजूदा साल का।

मांग	मांग बाबत	सालाना	बकाया			हाल (2018-2019)
			तीन वर्ष से ज्यादा	3 रा वर्ष	2 रा वर्ष (2016-2017)	
माल	(नकदी)	0.10			0.10	0.10
गुजारी	(भावली)	0.02			0.02	0.02
सेस	.....	0.05			0.05	0.05
सूद	.....	0.05			0.05	0.05
मुतफरकात	.....	0.02			0.02	0.02
मीजान		0.24			0.24	0.24

तफसील अंदायकारी

अंदायकारी बाबत	तीन वर्ष से ज्यादा	3 रा वर्ष	बकाया			मौतालबा हाल (2018-2019)
			2 रा वर्ष (2016-2017)	1 ला वर्ष (2017-2018)	0.10	
माल	(नकदी)				0.10	0.10
गुजारी	(भावली)				0.02	0.02
सेस	.....				0.05	0.05
सूद	.....				0.05	0.05
मुतफरकात	.....				0.02	0.02
मीजान अंदायकारी					0.24	0.24

(1) मीजान कुल (तफजो में) : One Rupees

(2) नाम देहिन्दा -

(3) कुल बकाया- 1.00

तारीख अगला तहसील कुनिन्दा 12-12-2018

खास महाल का बकाया मालगुजारी पर (शिबाब ऐसे बकायों पर जिन पर कि सर्टिफिकेट जारी हो) सूद नहीं लिया जाता है।



Sheela Singh

यह एक कम्प्यूटर जनित प्रति है।

यह पत्र केवल पार्श्व की जानकारी के लिए है।

इसका उपयोग किसी भी न्यायलय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।

किसी भी प्रकार की अशुद्धियों के लिए सम्बन्धित अधिकारी से संपर्क करें।

Memo No. : 419686040119110817  
Date : 04-01-2019  
प्रभावी : 1 2016-2017

श्री/श्रीमती/सुश्री SHEELA SINHA W/O BINOD PRASAD SINHA,  
मोहल्ला VISHRAMBAGH, C.H SCHOOL ROAD, JHUMRI TELAIYA , 7667644376  
KODERMA , 825409

एतद द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपका नया गृह सं. - 0080000423000M0 वार्ड सं. 8 हुआ है, आपके स्व. निर्धारण घोषणा पत्र के आधार पर वार्षिक किराया मूल्य 0/- रु. निर्धारित किया गया है। इसके अनुसार प्रति तिमाही कर निम्न प्रकार होगा।

स्व-निर्धारित कर की सूचना		
क्रम सं.	Particulars	Amount (In Rs.)
1.	गृह कर	40.00
2.	जल कर	0.00
3.	शौचालय कर	0.00
4.	विजली कर	0.00
5.	अतिरिक्त गृह कर (वर्षा जल संरक्षण की व्यवस्था नहीं होने के कारण)	0.00
कुल राशि (प्रति तिमाही)		40.00



नोट:-

1. कर निर्धारण की सूची, JHUMRITILAIYA NAGAR PARISHAD Website, [www.jharkhandjudia.net](http://www.jharkhandjudia.net) पर प्रदर्शित है।
2. नियमावली कंडीका 11.4 के आलोक में वर्षा जल संरक्षण की व्यवस्था नहीं होने के कारण अतिरिक्त गृह कर लगाया जाएगा जो सम्पत्ति कर का 50% होगा।
3. प्रत्येक वित्तीय वर्ष में सम्पत्ति कर का भुगतान त्रैमासिक देय होगा।
4. यदि किसी वर्ष के लिए सम्पूर्ण पृति कर का भुगतान वित्तीय वर्ष के 30 जून के पूर्व कर दिया जाता है, तो कदातन को 5% की रियायत दी जाएगी।
5. किसी देय पृति को निर्दिष्ट समयावधि (प्रत्येक तिमाही) के अन्दर या उसके पूर्व नहीं चुकाया जाता है, तो 1% प्रतिमाह की दर से साधारण व्याज देय होगा।
6. यह कर निर्धारण आपके स्व-निर्धारण एवं की गई घोषणा के आधार पर की जा रही है, इस स्व-निर्धारण -सह-घोषणा पत्र की स्थानीय जांच यथा समय निगम करा सकती है एवं तथ्य गलत पाए जाने पर नियमावली कंडीका 13.2 के अनुसार निर्धारित शक्ति (Fine) एवं अंतर राशि देय होगा।
7. JHUMRITILAIYA NAGAR PARISHAD द्वारा संयोजित इस सम्पत्ति कर इन इमारतों/खण्डों को कोई कानूनी हैसियत प्रदान नहीं करता है और/या न ही अपने मालिकों / दखलदार को कोई कानूनी अधिकार प्रदान करता है।
8. अगर आपके नये होस्टिंग नं.ों का आखिरी अंक 5/6/7/8 है तो यह विशिष्ट संरचनाओं की श्रेणी के अन्तर्गत माना जायेगा।

**NOTE : This is a Computer generated receipt. This receipt does not require physical signature.**

Print

Sheela Sinha

To be signed by the Applicant